प्रेषक पुलिस अधीक्षक,
पलवल।

प्रेषित

i) सभी थाना प्रबन्धक, जिला पलवल।
ii) सभी प्रभारी चौकी जिला पलवल।
iii) प्रवाचक, पुलिस अधीक्षक पलवल।
iv) जिला सेना लिपिक पलवल व लाइन अफसर पलवल।
v) टी.ए.एस.आई. जिला पलवल।
vi) सभी ब्रान्च ईन्चार्ज, कार्यालय पुलिस अधीक्षक पलवल।
vii) प्रभारी नियन्त्रण कक्ष पलवल।

प्रति लिपि i) सभी उप पुलिस अधीक्षक, जिला पलवल।

क्रमांक 2134-54/सुरक्षा दिनांक-21.03.2020 (:)

विषयः- माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस को जनता में फैलने से रोकने हेतु दिनांक 22.03.2020 को सामाजिक सुरक्षा एंव लोक स्वास्थय एंव जनहित को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक रूप से बाहर आने व जनता को घरों में रहने की मंत्रणा की गई है। जिसकी पालना सुनिश्चित करने हेतु सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि एंव जन स्वास्थय की दृष्टि से निम्नलिखित दिशा निर्देश दिए जाते हैः-

1. ऐसे कर्मचारी जो पब्लिक डीलिंग/शिकायत सुनने एंव निपटाने पर लगे हुए हों वह अपनी मेज व कुर्सी तथा अपने कमरे में और कमरे के आस पास विशेष तौर पर सफाई रखें और समय - समय पर Hand Wash & Senitizer का प्रयोग करें।
2. सभी थाना प्रबन्धक व प्रभारी चौकी अपने -अपने क्षेत्राधिकार में खुफिया व ऐलानिया तौर पर Public Movement पर कडी नजर रखें। यदि आपके क्षेत्राधिकार मे कहीं कोई किसी प्रकार की **कोरोना वायरस से सम्बन्धित** अफवाह/गतिविधि मिलती है तो तुंरत उच्चाधिकारियों को सूचित करते हुए स्वास्थय विभाग के अधिकारी/कर्मचारी से सम्पर्क करके उसका उचित निवारण करें।
3. सभी कर्मचारी यदि संभव हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करने से बचें और जब भी थाना-चौकी से बाहर जाते हैं तो तब व्यक्तिगत मेल मिलाप से बचें और इस सम्बन्ध में स्वास्थय विभाग द्वारा जारी सभी हिदायतों की पालना करें।
4. यदि किसी कर्मचारी को खांसी/जुखाम/बुखार/इन्फेक्शन/वायरल की शिकायत होती है तो उसके स्वास्थय की दशा के अनुसार कार्यवाही करते हुए पर्याप्त रेस्ट/विश्राम दें तथा उसको अन्य कर्मचारियों के साथ मिलने से रोंके तथा उसकी और उसके साथ कार्यरत कर्मचारियों की सेहत-स्वास्थय का विशेष ध्यान रखें।
5. उपायुक्त महोदय पलवल द्वारा जारी धारा 144 के अन्तर्गत कोरोना वायरस (महामारी) के बारे में जारी दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।
6. आप सभी थाना प्रबन्धक व प्रभारी चौकी अपने क्षेत्र में अफवाहों पर कडी नजर रखें तथा कोरोना वायरस की बीमारी के बचाव में प्रयोग होने वाली दवाईयों/मास्क/सेनेटाइजर इत्यादि उपकरणों की कालाबाजारी को रोकने के लिए सभी ऐतिहाति-निवाकर कार्यवाही करें तथा स्वास्थय विभाग का सहयोग करें।
7. सरकारी हिदायतों के मुताबिक धार्मिक, सामाजिक एंव अन्य जितने प्रकार के आयोजन हैं जिनमें 5 या इससे अधिक भीड भी एकत्रित हो सकती है, उनकी रोकथाम के आवश्यक कदम उठाऐ जाऐं।
8. यदि कोरोना वायरस के बारे मे किंसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त होती है तो उसके बारे नजदीकी स्वास्थय केन्द्र को सूचित करें अथवा राज्य हैल्पलाइन नम्बर 8558893911, जिला हैल्पलाइन नम्बर 01275-298051, 248901, 108, एंव विशेष हैल्पलाइन नम्बर 01275-240022 पर सम्पर्क करें।
9. सभी थाना प्रबन्धक व प्रभारी चौकी अपने क्षेत्राधिकार के मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारों-चर्च व सामाजिक-धार्मिक संगठनों के द्वारा होने वाले आयोजनों के बारे में

Scanned with CamScanner

धारा 144 के दृष्टिगत पालना सुनिश्चित करने के लिए उक्त संगठनों के गणमान्य व्यक्तियों व पदाधिकारियों से तालमेल स्थापित करके धारा 144 में जारी सभी दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक निवारक कदम उठाऐं।

10. सभी कर्मचारियों को अपनी-अपनी डियूटि के भलि भान्ति निर्वहन करने में अपनी सेहत और स्वास्थय का ध्यान रखते हुए Social Distance को बनाए रखना चाहिए।

11. जनता की आपातकालीन सेवाओं के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही करते हुए निपटारा किया जावे।

12. दिनांक 22.03.2020 को शहरों एंव कस्बो में स्थानीय निकाय विभाग के सहयोग से Shop Act की पालना सुनिश्चित करवाई जावे।

अतः आप सभी पर्यवेक्षण अधिकारी व प्रबन्धक थाना/चौकी इन्चार्ज को निर्देश-आदेश दिए जाते हैं कि उपरोक्त दिशा निर्देशों व पुलिस महानिदेशक हरियाणा के पत्र कमांक 4583-4670/डब्ल्यू-3 दिनांक 18.03.2020 के अनुसार कोरोना वायरस के नियन्त्रण हेतु जारी दिशा निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित की जावे और कल दिनांक 22.03.2020 को कोरोना वायरस के सम्बन्ध में सामाजिक सुरक्षा एंव जनहित को ध्यान में रखतें हुए सभी अपने-अपने इलाका में महामारी के सम्बन्ध में जारी धारा 144 की पालना सुनिश्चित करें।

//

21/3/2020 1445

कृतेः पुलिस अधीक्षक,
पलवल।

Scanned with CamScanner